



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प इन्दौर म.प्र.

निगरानी 238-PBR-15

- 1- श्रीमती रेखा पति मुन्नालाल शिवहरे,
आयु- 45 साल धंधा खेती
निवासी मंगल नगर इन्दौर

.....निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- संजना उर्फ मनीषा पति संजय जैन आयु 31 साल,
धंधा- गृहकार्य, निवासी 36 प्रेमचंद मार्ग नानेवाडी धार
- 2- मुन्नालाल पिता गोरीशंकर शिवहरे, आयु 50 साल
धंधा- व्यापार, निवासी- सलकनपुर हा.मु. चौधरी कालोनी
अक्षता ब्यूटी पार्लर के पास मांगलिया इन्दौर म.प्र.

.....रेस्पोडेन्ट्स

निगरानी अर्ज अंतर्गतधारा 50 भू.रा.सं. 1959 अनुसार

“ यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील धार के राजस्व प्रकरण क्र.135/13-14/अ-6 संजना बनाम
मुन्नालाल के नामांतरण प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 26/12/2014
से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई हैं। ”





श्रीमती रेखा पति
20.1.15 को
म.प्र. 13.35

1/1/15

13.5.2015

आवेदिका की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव आयोगाध्यक्ष उपास्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि यह निगामी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 26.12.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार द्वारा प्रकलन में अंतरिम आदेश पारित करने से निगामी निरर्थक हो गई है। अतः, चवाना नहीं चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकलन नहीं चवाने के कारण समाप्त किया जाता है।

Not processed

अयोगाध्यक्ष आ.


अध्यक्ष